



ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)

(Regd. Under the Trade Union Act, 1926; Regd. No. 546 / 2016)

302, Block No. 4, Ram Krishna Enclave, Nutan Chowk, Sarkanda; Bilaspur (CG)

E-mail : centralaiace@gmail.com ; Ph. 9907434051

संदर्भ संख्या AIACE/CENTRAL/2025 / 043_H

दिनांक 9.7.2025

प्रति

सचिव,

कोयला मंत्रालय एवं अध्यक्ष, सीएमपीएफ न्यासी बोर्ड

भारत सरकार,

नई दिल्ली

विषय: बैंक स्तर पर विधवा/विधुर पेंशन शुरू करने के उद्देश्य से उचित संशोधित पीपीओ जारी करने हेतु सीएमपीएफओ को निर्देश

माननीय महोदय,

कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) देश के कोयला क्षेत्र में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीएमपीएस-1998 नामक एक पेंशन योजना चलाता है। इसमें विधवा/विधुर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में उसे पेंशन देने का प्रावधान है।

पहले, शुरुआती वर्षों में, पेंशन शुरू करने/दावा करने के लिए, कर्मचारी कई आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहज फॉर्म में आवेदन जमा करता था। विधवा/विधुर द्वारा भी देय पेंशन के लिए आवेदन करने हेतु इसी फॉर्म का उपयोग किया जाता था। स्वाभाविक रूप से, विधवा/विधुर के लिए पेंशन दावा फॉर्म जमा करना एक कठिन कार्य था।

शुक्र है कि सीएमपीएफओ ने विधवा/विधुर पेंशन के सरलीकरण की हमारी लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर लिया और अक्टूबर, 2022 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (आरपीपीओ) का संशोधित प्रारूप अधिसूचित किया। यह आरपीपीओ एक ऐसा साधन है जो लाभार्थी की मृत्यु की सूचना मिलने पर बैंक स्तर पर विधवा/विधुर पेंशन शुरू करने में सक्षम बनाता है।

सीएमपीएफओ ने अक्टूबर, 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनभोगियों को आरपीपीओ पुनः जारी करने पर भी सहमति व्यक्त की।

अक्टूबर 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त लोगों को संशोधित पीपीओ जारी करने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिसके कई कारण हैं, जैसे कि सीएमपीएफओ में जनशक्ति की कमी और भ्रष्टाचार, और एक निश्चित समय सीमा में संशोधित पीपीओ जारी करने के प्रति उदासीनता। विडंबना यह है कि जारी किए गए अधिकांश आरपीपीओ में विशिष्ट त्रुटियाँ होती हैं और वे उस उद्देश्य को पूरा करने में असमर्थ होते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है और आरपीपीओ धारक पेंशनभोगियों के लिए अंतहीन दुख बढ़ाते रहते हैं।

हमने अपने सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों की एक सूची तैयार की है, जिसमें आमतौर पर निम्नलिखित 24 प्रकार की त्रुटियाँ बताई गई हैं:

संशोधित पीपीओ में त्रुटियों के प्रकार		
त्रुटि विवरण	त्रुटि विवरण	त्रुटि विवरण
1. संयुक्त फोटो नहीं चिपकाई गई है	9. पति/पत्नी की जन्मतिथि गलत है	17. मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई
2. संयुक्त फोटो सत्यापित नहीं है	10. पति/पत्नी की जन्मतिथि गायब है	18. ओवरराइटिंग
3. स्टाम्प नहीं है	11. मृतक पेंशनभोगी की जन्मतिथि गलत है	19. पेंशन राशि ओवरराइट की गई है
4. पता जिसमें सुधार की आवश्यकता है	12. रिटायरमेंट तिथि गलत है	20. अदिनांकित
5. बैंक खाता संख्या सही जगह पर मुद्रित नहीं है	13. नाम अधूरा है	21. पता गलत है
6. बैंक पता गलत है	14. पति/पत्नी का नाम नहीं लिखा है	22. बैंक का नाम गलत है
7. बैंक आईएफएससी कोड गलत है	15. नाम की वर्तनी गलत है	23. पीएफ खाता संख्या गलत है
8. पेंशन शुरू होने की तिथि गलत है	16. विवरण स्पष्ट नहीं है	24. जीवनसाथी के आधार और पैन नंबर गलत

हमने जीवनसाथी को पेंशन की परेशानी मुक्त शुरुआत की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए AIACE के द्वारा CMPFO को AIACE/CENTRAL/010 दिनांक 24.1.2024, AIACE/CENTRAL/2024/014 दिनांक 3.2.2024, AIACE/CENTRAL/040 दिनांक 6.5.2024, AIACE/CENTRAL/2024/045 दिनांक 24.5.2024, AIACE/CENTRAL/051 दिनांक 19.6.2024, AIACE/CENTRAL/056 दिनांक 12.7.2024 आदि कई पत्र लिखे गए हैं। इन सभी पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और CMPFO कर्मचारी अपनी नौकरी के साथ अन्याय कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें वेतन दिया जा रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया सीएमपीएफओ को आवश्यक निर्देश/निर्देश प्रदान करें, जिससे सभी पेंशनभोगियों को लाभ होगा और सीएमपीएफओ, कोयला मंत्रालय एवं कोयला कंपनियों की छवि में सुधार होगा।

सादर,



पी के सिंह राठौर

प्रधान महासचिव